प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

विषय: जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-488/ए0एस0-19-84/2017, दिनांक 17 अगस्त, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा प्रश्नगत परियोजना के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 69.4183 करोड़ (रूपया उन्हत्तर करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) को अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-11/2016/1452/छप्पन-2015-42/2008 टी0सी0-1, दिनांक 01 फरवरी, 2016 के द्वारा मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित आगणन (टर्मिनल बिल्डिंग को छोड़कर) के सापेक्ष रूपये 19941.83 लाख (रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-30/2017/312/छप्पन-2017-42/2008 टी0सी0-1, दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रूपए 50.00 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। सम्प्रति अवशेष धनराशि रूपए 69.4183 करोड़ (रूपया उन्हत्तर करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) अवमुक्त किया जाना है।

3- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(12) (च) में किए गए प्रावधानानुसार मूल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए धनराशि रूपए 59,44,73,850/- (रूपए उनसठ करोड़ चौवालिस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में श्री राज्यपाल धनराशि रूपए 59,44,73,850/- (रूपए उनसठ करोड़ चौवालिस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2016/1452/छप्पन-2015-42/2008 टी0सी0-1, दिनांक 01 फरवरी, 2016 के प्रस्तर-3 में विहित शर्तों के अधीन है।

6- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पटिटयों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग के स्तर से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0 संख्या-85/2017/1183(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, कुशीनगर।
(4) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, कुशीनगर।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी, बजट।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in